(11)

क्रम-संख्या—803

रजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 56

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 मार्च, 1995

फाल्गुन 23, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 620/सत्रह-वि-1—1(क)-13-1995

लखनऊ, 14 मार्च, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 14 मार्च, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1995)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 198 के अधीन उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित]

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 28 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन् 1935 की धारा 5-ए का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5-ए में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् —

"(1) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसका अधिकार क्षेत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन उत्तर प्रदेश के बाहर हो, प्रदान किये गये परमिट के अधीन चलने वाली किसी मोटर गाड़ी का उत्तर प्रदेश में प्रयोग नहीं किया जायगा जब तक कि धारा 5 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस पर—

(क) मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियमावली, 1993 के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत आने वाली किसी मोटर टैक्सी के मामले में, एक हजार दो सौ रुपये प्रति वर्ष की दर पर; और

(ख) किसी अन्य मामले में, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट समुपयुक्त दर पर;

आकलित कर का भुगतान उत्तर प्रदेश में उसके प्रयोग या ठहरने की अवधि के सप्ताहों के लिये उपधारा (2) में बतायी गयी रीति से न कर दिया गया हो।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 620(2)/XVII-V-1—1(KA) 13-1995

Dated Lucknow, March 14, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 1995.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. Act no. 9 of 1995)

[As passed by both Houses of the Uttar Pradesh Legislature under Article 198 of the Constitution]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1935.

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of Inda as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 28, 1994.

2. In section 5-A of the U.P. Motor Vehicles Taxation Act, 1935, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 5-A of U. P. Act No. 5 of 1935

"(1) No transport vehicle plying under a permit granted by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh under the Motor Vehicle Act, 1988 shall be used in Uttar Pradesh, unless there has been paid a tax calculated—

(*a*) in the case of a motor cab covered by an Authorisation Certificate issued under the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 at the rate of rupees one thousand two hundred per annum ; and

(*b*) in any other case, at the appropriate rate specified in the First Schedule ;

in the manner provided under sub-section (2) for the number of weeks of its use or stay in Uttar Pradesh anything contained in section 5 to the contrary notwithstanding."

U.P. Ordinance No. 32 of 1994 3. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 1994 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

N. K. NARANG,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0 पी0 312 सा0 विधा0 (हि0)—(4097)—1995—850(मे0)